

# विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,  
एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास),  
विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010

(विज्ञापन सं०-10/विसेआ/2022/तकनीशियन(विद्युत))

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत समूह 'ग' की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा (CBT) के द्वारा, तकनीशियन (विद्युत) हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
826	तकनीशियन (विद्युत)	357	241	187	17	89

इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।

❖ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।

❖ विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-1 के अनुसार Normalisation method ((CBT) के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।

❖ उक्त पदों पर आरक्षण उ०प्र० राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

❖ केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

1. वेतनमान:- सातवे वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-4, रू० 27200/- (न्यूनतम स्तर) एवं अन्य भत्ते कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे।

2. अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें:-

आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है:-

(i) इलेक्ट्रीशियन

(ii) इलेक्ट्रिकल

(iii) इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण)

अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट:-दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

3. आयु : दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

4. आयु में अनुमन्य छूट :

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर)' एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का उ०प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक है) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।



*(Handwritten signature)*